## नियम 20 : अपील प्ररूप की विषय–वस्तु

(1) प्रत्येक अपील प्ररूप में अपील के आधार संक्षिप्त रूप से तथा पृथक शीर्षकों के अधीन दिए जाएंगे तथा ऐसे आधारों को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाएगा तथा उन्हें कागज पर दोहरे स्थान पर टाइप किया जाएगा।

(2) प्रत्येक अपील प्ररूप, प्रति–आपेक्ष, संदर्भ आवेदन, स्थगन आवेदन या कोई अन्य विविध आवेदन भी ए4 आकार के कागज पर डबल स्पेस में साफ–साफ टाइप किया जाएगा और सम्यक रूप से पृष्ठांकित, अनुक्रमित किया जाएगा तथा एक पृथक फोल्डर में अपील प्ररूप के साथ मजबूती से टैग किया जाएगा।

(3) अपील या आवेदन या प्रति–आपेक्ष के प्रत्येक प्ररूप पर अपीलार्थी या आवेदक या प्रत्यर्थी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे सत्यापित किया जाएगा। अपीलार्थी या आवेदक या प्रत्यर्थी या प्राधिकृत प्रतिनिधि अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करेंगे।